कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल, खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 2–14/ 1021 खैरागढ़, दिनांक 01/06/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट/स्काई परियोजना के तहत मार्ग के समानांतर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबत्। (Reg.No. FP/CG/OFC/43123/2019)**

संदर्भ :– प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते–अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भानेप्रो–II/वनभूमि/प्रस्ताव/2012–21/120 दिनांक 13.05.2020

–000–

निवेदन है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.05.2011 द्वारा वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलो में 13 प्रकार के 5.000 हे. तक के कार्यो के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के सामान्य अनुमोदन का अधिकार राज्य शासन को दिया गया है। 13 प्रकार के कार्यो में इलेक्ट्रीकल एवं टेलीकम्यूनिकेशन लाईन शामिल है। इसी प्रकार भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.06.2011 द्वारा 13 प्रकार के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में छ.ग. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 22.06.2018 द्वारा 21 चेकलिस्ट का निर्धारण किया गया था। आवेदक संस्थान प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते–अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा खैरागढ़ वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों के अधिन मार्ग के समानांतर विद्यमान राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत वनभूमि तथा राजस्व वनभूमि में आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये 4.681 हे. भूमि (वनभूमि 4.403 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.278 हे.) के गैर वानिकी उपयोग के तहत वन संक्षरण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर विषयांकित ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया था।

आवेदक संस्थान द्वारा 21 चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः वनमंडल स्तर पर ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण कर मय सी.डी. सहित प्रस्ताव 04 प्रतियों में अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

पृ.क्र./मा.चि./न.क्र. 2–14/1022 खैरागढ़, दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि :– प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते–अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ (छ.ग.) आफिस नंबर 402 चौथा माला मैगनेटो मॉल लाभाण्डी रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़